“इनके यहां तो ऐसा ही होता है”: प्रशासन की मानसिकता के शिकार पीड़ित

बाजारू लैंगिक शोषण के पीड़ितों की मदद के लिए क्षेत्र में वर्षों से रहने के दौरान प्रेरणा को विभिन्न प्रकार के केसों में करीब से कार्य करने का मौका मिला है. कई मामलों में यह अनुभव किया गया है कि शोषण के स्थान पर बाजारू लैंगिक शोषण के पीड़ितों से सहानुभूति या हमदर्दी जताने वाले लोगों को पीड़ित एक नायक के रूप में देखते हैं जबकि असल में वे भी पीड़ित का शोषण ही कर रहे होते हैं. ऐसा ही एक मामला श्रेया (काल्पनिक नाम) नाम की एक 17 वर्षीय (यानी कि नाबालिग) लड़की से जुड़ा था, जो मुंबई ठाणे जिले में रहती थी. श्रेया का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से आता है और वे बेडिया समुदाय से हैं. हम जानते थे कि कथित तौर पर और सर्वसाधारण जानकारी के अनुसार इस समुदाय में अपनी बेटियों को देह व्यापार में भेजने की परंपरा है. संगठित देह व्यापार को लेकर 1956 में कानून बनने के बाद भी इस तरह के समुदायों की मान्यता बरकरार है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रेया के परिवार ने कक्षा 6 से ही उसका स्कूल जाना बंद करा दिया था. मुंबई में उसकी दोस्ती मीना (काल्पनिक नाम) नाम की लड़की से हुई, जिसके साथ वह पहली बार डांस बार में गई थी. श्रेया ने अपने परिवार में अपनी बुआ समेत अन्य को इस तरह से डांस बार में जाते हुए और वहां काम करते हुए देखा था, तो उसके लिए यह एक सामान्य बात थी, उसे नहीं पता था कि यह उसके शोषण की पहली सीढ़ी है.

केस की संक्षिप्त जानकारी

केस की जानकारी मिलने पर जब केस वर्कर्स ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय से संपर्क साधा, तो पता चला कि केस पहले से ही एक पुलिस थाने में दर्ज था. लेकिन केस के संबंध में अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं हुई थी. इस संदर्भ में और पूछताछ करने पर पता चला कि श्रेया अपने भाई-बहन व परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से डांस बार में काम कर रही थी, उसका मानना था कि अपने परिवार की मदद करने के लिए यह काम करना उसकी जिम्मेदारी है. हालांकि श्रेया के पिता एक ड्राइवर का कार्य करते थे, जिनकी एक स्थाई आय थी. फिर भी श्रेया एक वर्ष से मुंबई के एक डांस बार में काम कर रही थी. इस दौरान श्रेया की मुलाकात माधव (काल्पनिक नाम) नाम के एक शख्स से हुई, जो लगभग 30 वर्ष का था. माधव श्रेया को इस व्यापार से निकाला चाहता था क्योंकि उसे संदेह था कि उसे देह व्यापार में भेजा जा सकता है. माधव पहले से शादीशुदा था, वह अपने बीवी बच्चों से अलग रहता था. श्रेया को व्यापार से निकालने के लिए माधव ने परिवार को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मदद देने की पेशकश की, जिसे श्रेया के परिवार ने स्वीकार लिया. जब माधव परिवार को पैसे भेज रहा था उस दौरान परिवार को माधव व श्रेया के एक दूसरे से संपर्क में रहने पर कोई आपत्ति नहीं थी. श्रेया एक बार माधव के घर जाकर उसके माता-पिता से भी मिल चुकी थी.

एक दिन परिवार ने श्रेया को माधव से बात करने से मना कर दिया और वे उसे लेकर आगरा चले गए. श्रेया ने किसी तरह माधव से संपर्क साधा और वहां से भागने की योजना बनाई. इसके बाद श्रेया अपने घर वालों से बचकर माधव के पास पहुंची और दोनों ने उज्जैन में एक मंदिर में शादी कर ली. इस शादी को कहीं पंजीकृत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शादी के दौरान श्रेया नाबालिग थी. श्रेया के घर से चले जाने के बाद उसके माता-पिता ने श्रेया के लापता होने की तहरीर एक पुलिस थाने में दी, साथ ही माधव पर श्रेया को अगवा करने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद मामले में पुलिस ने केस में हस्तक्षेप किया.

थाने में ही फैसला

उज्जैन में श्रेया और माधव लगभग चार महीने से रह रहे थे. इस दौरान उन्हें व्हाट्सएप पर पुलिस का एक संदेश मिलता है, जिसके बाद दोनों पुलिस थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने की बजाए मामले को दोनों पक्षों की रजामंदी से निपटा दिया. श्रेया ने बार-बार पुलिस को बताया कि उसके परिवार वाले उससे किस प्रकार का काम करा रहे थे, जिसके कारण वह घर छोड़ कर गई थी. पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से यह जाहिर होता है कि पुलिस एक 17 वर्षीय बालिका को भी अबोध ही समझती है.

वही पुराना पैंतरा

केस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जब केसवर्कर्स ने श्रेया की आयु जाननी चाही, तो परिवार के द्वारा एक वोटर आईडी पेश की गई, जिसके अनुसार वह बालिग थी. इस तरह के कई अन्य मामलों में करीब से काम करने के कारण केसवर्कर्स को पता था कि ऐसे मामलों में अक्सर परिवार वाले फर्जी आयु प्रमाण पत्र पेश करते हैं. किशोर न्याय अधिनियम के तहत कराई जाने वाली आयु सत्यापन जांच के दौरान प्राप्त हुए जन्म प्रमाण पत्र से केस वर्कर्स को ज्ञात हुआ कि श्रेया की उम्र महज 17 वर्ष है. श्रेया की उम्र जानने के बाद सीडब्ल्यूसी ने उसके परिवार को आगरा से मुंबई बुलाया. श्रेया के मुंबई आने के बाद उसे सीडब्ल्यूसी (CWC) के सामने पेश किया गया. मामले में माता-पिता पर ही जबरन बालिका को देह व्यापार में भेजने का आरोप था, तो बालिका के लिए माता-पिता का घर सुरक्षित नहीं था, जिस कारण से उसे उल्हास नगर स्थित आश्रय गृह भेजना का आदेश जारी किया.

गिरफ्तारी

श्रेया द्वारा साझा जानकारी के आधार पर केस वर्कर्स ने सीडब्ल्यूसी (CWC) के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जानकारी को देखते हुए यह केस आईटीपीए का एक महत्वपूर्ण केस बन गया. सीडब्ल्यूसी (CWC) के समक्ष श्रेया के बयान देने के बाद पुलिस ने उसके माता-पिता समेत दादी व बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया.

श्रेया के बयान के आधार पर पुलिस ने पोकसो एक्ट के तहत माधव को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन माधव तब तक सब कुछ छोड़कर भाग चुका था. यह सब कुछ वर्ष 2020 के मार्च महीने के शुरुआती पंद्रह दिनों में हो रहा था, जिसके तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया.

प्रेम, शोषण व पोकसो

माधव ने श्रेया के जीवन में तब प्रवेश किया था जब वह डांस बार जाकर अपने नाजुक कंधों से परिवार की जिम्मेदारी उठाने का प्रयास कर रही थी. माधव ने श्रेया को डांस बार से निकलने में पूरी सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप श्रेया को उससे प्रेम हो गया और उसके दिमाग में माधव की छवि एक नायक के रूप में बन गई थी. केसवर्कर ने बातचीत के दौरान श्रेया को समझाया गया कि उसके प्रेम का बीज एक शोषण से भरे वातावरण में पनपा है, जो कि एक सही संकेत नहीं है. साथ ही उसे पोकसो के बारे में भी जानकारी दी गई. केस वर्कर ने उसे बताया कि माधव नियमित रूप से डांस बार आता था, उसके संबंध कई अन्य लड़कियों से भी थे. साथ ही साथ वह डांस बार के माहौल से परिचित है और यहां काम करने वाली अधिकांश बालिकाओं के नाबालिग होने की बात पता होने के बाद भी उसने श्रेया से शादी रचाने का फैसला लिया, जो कि कानूनी अपराध है. श्रेया द्वारा माधव के साथ रहने की इच्छा प्रकट करने पर केस वर्कर्स ने श्रेया को समझाते हुए यह भी बताया कि पोकसो केस को लेकर माधव पुलिस से भाग रहा है और उसके साथ रहने का फैसला कानून के विपरीत होगा. जिस पर श्रेया ने कहा कि वह कानून के विरोध में न जाकर अन्य उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनने पर विचार करेगी.

लॉकडाउन

कोरोना वायरस के कारण सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण केस की कार्यवाही स्थगित हो गई. साथ ही लॉकडाउन के कारण घर वालों व माधव की चिंता को लेकर आश्रय गृह में श्रेया का मन विचलित होने लगा, वह बेचैन रहने लगी. वहीं, केसवर्कर्स भी बालकों से नहीं मिल पा रहे थे. सरकारी आश्रय गृह में फोन, इंटरनेट व बातचीत करने के अन्य उपकरणों के अभाव के कारण केस वर्कर्स भी श्रेया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे. इसके कारण श्रेया में नाराजगी व बेचैनी दोनों काफी बढ़ने लगी.

दूसरी तरफ केसवर्कर्स विभिन्न संस्थाओं से बात करके आश्रय गृह में इंटरनेट, फोन व लैपटॉप जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे थे. अंतत: केस वर्कर्स की मेहनत रंग लाई और आश्रय गृह में जरूरी उपकरणों की व्यवस्था कराई गई, जिसके बाद लगभग मई-जून में श्रेया से संपर्क हुआ. श्रेया से बात करने के दौरान केस वर्कर्स को मालूम हुआ कि माता-पिता को जेल भेजे जाने के फैसले से श्रेया काफी नाराज है. उसने केस वर्कर्स को कहा कि मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अब मम्मी-पापा, दादी व बुआ सभी जेल में हैं तो भाई बहन का ख्याल कौन रखेगा? श्रेया को यह ख्याल लगातार परेशान कर रहा था.

आर्थिक मजबूरी महज दिखावा

श्रेया के माता-पिता की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई-बहनों को चाचा-चाची के पास रखा गया था. लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों तक राशन पहुंचाने का कार्य प्रेरणा के द्वारा किया जा रहा था, उसी कड़ी में प्रेरणा के कार्यकर्ता श्रेया के चाचा के घर में भी राशन पहुंचाने की बात की, जो मुंबई के ठाणे इलाके में रहते हैं. लेकिन केस वर्कर्स को मालूम हुआ कि श्रेया का परिवार आर्थिक रूप से उतना भी कमजोर परिवार नहीं है. श्रेया के चाचा एक अच्छे इलाके की बहुमंजिला इमारत में फ्लैट लेकर रहते थे. साथ ही केसवर्कर्स ने जब श्रेया के भाई-बहन से बात करनी चाही व श्रेया से बात करने को कहा, तो उन्होंने केस वर्कर्स को वापस जाने को कहा. वह अपने माता-पिता के जेल जाने का कारण केसवर्कर्स व श्रेया को समझ रहे थे.

केसवर्कर्स ने सामाजिक जांच के दौरान श्रेया के भाई-बहनों की सुरक्षा व उनकी स्थिति को भी जानने का प्रयास किया. इस तरह के मामलों में जहां बड़ी बहन को देह व्यापार में भेजने का प्रयास किया गया हो वहां छोटे भाई बहन इस खतरे के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य व शिक्षा को जांचना बेहद आवश्यक हो जाता है. जांच के दौरान केस वर्कर्स को ऐसे किसी खतरे का संकेत नहीं मिला.

आश्रय गृह और कोरोना

केस वर्कर्स के अनुसार, श्रेया आश्रय गृह में काफी जल्द ही सबकी नजरों में आ गई थी, वह तेज थी और उसके अंदर नए हुनर सीखने की चाह थी. इस कारण से आश्रय गृह में सभी उसे जानने लगे थे. लेकिन उसी आश्रय गृह में कोरोना के मामले निकलने पर चीजें थोड़ी खराब हुई, जिसके कारण कई बच्चों को दूसरे आश्रय गृह में भेजा गया. लेकिन वक्त के साथ चीजें सामान्य होने लगीं. अक्टूबर 2020 में श्रेया 18 वर्ष की होने वाली थी. केस वर्कर्स द्वारा उसे अनुरक्षण गृह में भेजने की बात करने पर उसने अपने भाई-बहन या माधव के साथ रहने की इच्छा जाहिर की.

उसे लग रहा था कि अनुरक्षण गृह में भी उसे आश्रय गृह में हुई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. केस वर्कर्स ने जब उसे वहां मिलने वाले अवसरों, सुविधाओं और भविष्य के पहलुओं के बारे में समझाया तो श्रेया दिलचस्पी तो अनुरक्षण गृह की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वह मन नहीं बना पा रही थी.

श्रेया की आशंका को देखते हुए उसके 18 वर्ष होने से एक महीने पूर्व केसवर्कर्स ने उसे एक महीने के लिए अनुरक्षण गृह में जाने का विकल्प दिया. केस वर्कर्स की इस पेशकश से उसे काफी खुशी हुई और उसने एक महीने के लिए अनुरक्षण गृह में रहने का फैसला किया. इस दौरान केस वर्कर्स ने सोशल इन्वेस्टिगेशन किया और उससे संबंधित जानकारी श्रेया को दी गई.

श्रेया के 18 वर्ष पूर्ण करने से एक दिन पहले केस वर्कर्स ने सीडब्ल्यूसी व श्रेया के साथ एक वर्चुअल बातचीत की, जिसमें जांच से जुड़ी जानकारी साझा की गई. श्रेया के चाचा ने उसकी पढ़ाई फिर से शुरू कराने व उसकी देखभाल करने की बात सीडब्ल्यूसी के समक्ष लिखित में प्रस्तुत की. जिसे सुनकर श्रेया ने घर जाने का निर्णय लिया और कुछ दिनों बाद वह घर चली गई.

इनके यहां तो ऐसा ही होता है

18 वर्ष की आयु के करीब पहुंचता देख उसके माता-पिता पक्ष के वकील का बर्ताव एकदम से बदल गया था. जहां पहले वह श्रेया के भाइयों व उसके सगे संबंधियों से श्रेया को बात नहीं करने दे रहे थे, वहीं अब वह श्रेया के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाने लगे थे. श्रेया का बयान अगर माता-पिता के पक्ष में हो जाता तो उन्हें जेल से बरी कर दिया जाता और श्रेया की कस्टडी उन्हें सौंप दी जाती. केस को लेकर केसवर्कर के पास श्रेया के माता-पिता पक्ष के वकील का अक्सर फोन आता था. एक बार ऐसे ही कॉल के दौरान केस वर्कर ने वकील को समझाने का प्रयास किया कि यह केस बेहद संवेदनशील है बालिका की कस्टडी ऐसे ही आप लोगों को नहीं दी जा सकती है, जिसके जवाब में वकील ने कहा कि इन लोगों के यहां तो ये सब चलता रहता है. श्रेया के केस में यह दूसरी घटना थी जब कानूनी प्रक्रिया से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने श्रेया के प्रति यह रवैया दिखाया था, इससे पहले पुलिस ने भी केस की संवेदनशीलता को न समझते हुए इसे सामान्य केस समझ कर समझौता करा दिया था.

केस वर्कर्स अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि इस तरह के मामलों में पुलिस बचाव कार्य या कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के बजाय बालक/बालिकाओं को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने लगती हैं और अंत में मामले का समझौता इस तर्ज पर करा दिया जाता है कि तुम तो अभी छोटे हो माता-पिता तुम्हारी भलाई चाहते हैं. वहीं, परिवार वालों को इस बात के लिए फटकार लगाते हैं कि तुम अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते. पुलिस के साथ काम करने के बाद केस वर्कर्स का मानना है कि आज के समय में इस तरह के संवेदनशील मामलों को संभालने की समझ अधिकांश पुलिस कर्मियों में नहीं है.

घर वापसी

श्रेया के घर वापस जाने के निर्णय का केसवर्कर्स ने सम्मान किया. केसवर्कर्स श्रेया को सिर्फ सुझाव दे सकते हैं उस पर कोई फैसला लेने के लिए दबाव नहीं बना सकते है. घर पहुंचने के बाद श्रेया से जब पहले हफ्ते में बात हुई तो वह अपने परिवार से मिलकर काफी खुश थी. लेकिन जब दूसरे हफ्ते में केसवर्कर्स ने उससे संपर्क किया तो वह ठीक से बात नहीं कर रही थी, सुरक्षित न होने की आशंका के प्रश्न का जवाब उसने हां में दिया. साथ ही असुरक्षित होने का स्तर 10 में से 8 से 9 के बीच बताया. कॉल के लिए जरूरी निजता नहीं होने के कारण श्रेया ज्यादा बात नहीं कर रही थी.

यह जानने के बाद केसवर्कर्स जब श्रेया के घर पहुंचे और उससे बातचीत की तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्रेया के लिए उसका घर सुरक्षित नहीं है. श्रेया ने केसवर्कर्स को बताया कि घर पहुंचने के बाद उसके चाचा ने उससे एक हलफनामे पर दस्तखत कराया जिसमें लिखा था कि श्रेया के घर से भागने की वजह माधव और उसका प्यार था और वह दोनों शादी कर सकते हैं. उसके मामले में गिरफ्तार हुए लोगों ने उसे इस व्यापार में नहीं भेजा था. केसवर्कर्स ने यह सब जानने के बाद तुरंत श्रेया को उसके घर से वापस लाकर अनुरक्षण गृह की सुविधा प्रदान करने वाली एक संस्था यू कैन फ्री अस में रखने का फैसला किया.

श्रेया के हस्ताक्षर वाले हलफनामे के आधार पर परिवार वालों द्वारा सभी की बेल कराने की जानकारी मिलने पर केसवर्कर्स ने श्रेया से जानना चाहा कि क्या वह हलफनामा वापस लेना चाहती है? जिसका उत्तर देते हुए श्रेया ने कहा कि “मुझे बस यह कानूनी प्रक्रिया खत्म करनी है, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो. मेरे माता पिता, माधव या परिवार का कोई भी सदस्य जेल में न रहे. अगर उन्हें इस हलफनामे से लाभ मिलता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है. मेरा परिवार बस खुश रहे.” उसी दौरान पुलिस ने माधव को भी गिरफ्तार किया था, जिसे बेल नहीं मिली.

मौजूदा समय

अभी श्रेया अनुरक्षण गृह में रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है. अभी वह दसवीं कक्षा में है और वह आगे चलकर क्रिमिनल लॉयर बनने की चाह रखती है. अनुरक्षण गृह में वह पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी बराबरी से हिस्सा ले रही है और वहां के माहौल में अच्छे से घुल मिल रही है. श्रेया सिलाई-कढ़ाई के प्रशिक्षण व बैग बनाने के प्रशिक्षण में बेहद रुचि दिखा रही है, उसे अब इस कार्य के लिए वजीफा (स्टाइपेन्ड) भी मिलने लगा है. श्रेया ने केसवर्कर्स से कहा कि वह इस माहौल में अच्छा महसूस कर रही है और उसे लगता है कि अब उसे समुपदेशन सत्रों (काउंसलिंग सेशन) की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपने आस-पास की चीजों में अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पा रही है.

वह मौजूदा समय में केसवर्कर्स से सिर्फ कानूनी कार्रवाई और माता-पिता से मिलने में मदद चाहती है. क्योंकि श्रेया एक वयस्क हो गई है तो उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है, हम उसे अबोध समझकर उसके फैसलों का अनादर नहीं कर सकते हैं. उसके निर्णय के आधार पर अब केसवर्कर्स उससे महीने में एक या दो बार मिलते हैं व हर तीन महीने में उसको उसके परिवार से मिलाने ले जाते हैं. इस मुलाकात के दौरान केसवर्कर्स भी मौजूद रहते हैं ताकि वह श्रेया व उसके परिवार वालों की मदद कर सकें.